

## बिहार गजट

## अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**22 आश्विन 1941 (श0)** (सं0 पटना 1155) पटना, सोमवार, 14 अक्तूबर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 14 अक्तूबर 2019

एस॰ ओ॰ 387 दिनांक 14 अक्टूबर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संकलित व्यापारावर्त रखते हैं, अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन प्ररुप जीएसटीआर-1 में जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन तक बढ़ाते हैं।

- 2. अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।
  - 3. यह अधिसूचना दिनांक ९ अक्टूबर, २०१९ के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं॰सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 3043)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ॰ प्रतिमा.

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

14 अक्तूबर 2019

एस० ओ० 387 दिनांक 14 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)3043)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th October 2019

S.O. 387, Dated 14<sup>th</sup> October 2019— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from October, 2019 to March, 2020 till the eleventh day of the month succeeding such month.

- 2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of October, 2019 to March, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.
  - 3. This notification shall come into force with effect from 9<sup>th</sup> October, 2019.

(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 3043)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1155-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in